Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2022 GISRRJ | Volume 5 | Issue 1 | ISSN : 2582-0095

श्रमिक नेता के रूप में डॉ अंबेडकर

डॉ.स्वदेश सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय।

Article Info
Volume 5, Issue 1
Page Number : 79-84

Publication Issue :
January-February-2022

Article History
Accepted : 01 Feb 2022
Published : 10 Feb 2022

सारांश - मुख्य रूप से हम बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं लेकिन उससे पहले वो वॉयसरॉय की परिषद के श्रम सदस्य के रूप में काम कर चुके थे जिसे हम श्रम मंत्री भी कह सकते हैं । डॉ. अम्बेडकर ने श्रम मंत्री के रूप में लगभग 5 वर्ष (1942-1946) तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया । इस सीमित कालखंड में बाबा साहेब ने दलित एवं श्रमिक वर्ग के बंधुओं के हित में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया । इस अवधि में उन्होंने ब्रिटिश राज की बन्दिशों और सीमाओं के बावजूद श्रमिकों के लिए कई ऐसे कानून बनाये जो बाद में चलकर भारत के ही नहीं पूरे विश्व के श्रमिकों के लिए हितकारी साबित हुए । डॉ अंबेडकर द्वारा बनाए ये प्रावधान कई श्रमिक कानूनों के बनने में मार्गदर्शक सिद्ध हुए । उस समय डॉ. अंबेडकर ने कई मजदूर आन्दोलनों की मांगों को अपने एजेंडे में लिया । मजदूर संगठनों की कई मांगों को मानते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और बाध्यकारी कानून बनवाए । उन्होंने खुद भी मजदूर संगठनों के बीच काम किया था और उनकी समस्याओं को करीब से समझा था ।इस शोध आलेख में डॉ. अंबेडकर द्वारा बनाए गए श्रमिक कानूनों को केंद्र में रखकर उसका अध्ययन व विश्लेषण किया गया है ।

बीज शब्द : श्रम कानून, डॉ. अंबेडकर, भारतीय संविधान, श्रमिक वर्ग, मानवाधिकार ।

श्रमिक वर्ग के अधिकारों तथा उनकी समस्याओं के प्रति डॉ. अम्बेडकर ना केवल जागरूक रहे बल्कि वे इन विषयों पर सतत संघर्षशील भी रहे । यह बात अलग है कि समय-समय पर परिस्थितियों के अनुरूप उनके विचारों में परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है।

शुरुआती वर्ष- 1920 के दशक में भारत में साम्यवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ा और 1924, 1925, 1928, 1929 के वर्षों में कपड़ा उद्योग से जुड़े मजदूर संगठनों ने जब हड़तालें कीं तब डॉ. अम्बेडकर ने अपने पत्रों – बहिष्कृत भारत और जनता – के माध्यम से श्रमिक वर्गों को इन हड़तालों से दूरी बनाकर रखने को कहा । जिसके परिणामस्वरूप साम्यवादियों ने बाबा साहेब को 'श्रमिक वर्ग का शत्रु' घोषित कर आलोचना की ।[1] डॉ. अम्बेडकर का स्पष्ट मानना था कि श्रमिक वर्ग की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति काफी दयनीय है । ऐसी स्थिति में उन्हें हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए । उन्हें शीघ्र ही भुखमरी का

[1]. Narendra Jadhav, Ambedkar, Awakening India's Social Conscience Konark Publications pp. 251

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

सामना करना पड़ सकता है । लेकिन कुछ ही समय बाद श्रमिकों के हड़ताल में शामिल न होने के उनके विचार में परिवर्तन होता है क्योंकि कम्पनी मालिक मजदूरों की मांगों को आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं थे । 1930 के दशक तक आते–आते उन्होंने श्रमिकों को अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल करने का समर्थन किया तथा अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इन हड़तालों में सहयोग भी किया ।

श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने लगातार आन्दोलन किया इसी कारण सन 1934 में वे बम्बई म्युनिसिपल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष चुने गए थे । 15 सितम्बर 1938 को जब बम्बई विधानसभा में मजदूरों द्वारा हड़ताल करने से रोकने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल लाया गया तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया । उन्होंने कहा कि जो लोग (मजदूर) देश के लिए अन्न तथा सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं, वे भूखे नहीं मरने चाहिए । डॉ अंबेडकर ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह नया कानून मजदूरों द्वारा की जाने वाली हड़तालों को गैरकानूनी बताकर उनपर प्रतिबंध लगा देगा । यह बिल श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा इसलिए यह असंवैधानिक है । उन्होंने उस समय के मजदूर संगठनों के साथ मिलकर इस बिल के विरोध में आन्दोलन चलाया और अपने भाषण में मजदूर संगठनों से हड़ताल पर जाने की अपील की । उसके बाद उन्हें सफलता भी मिली और यह श्रमिक विरोधी बिल रद्द हो गया ।[2]

रेलवे मजदूरों के एक सम्मेलन में 1938 में अध्यक्षीय भाषण करते हुए डॉ अंबेडकर ने कहा कि यह बात सच है कि अभी तक हम अपनी सामाजिक समस्याओं को लेकर ही संघर्ष कर रहे थे, किन्तु अब समय आ गया है जब हम अपनी आर्थिक समस्याओं को लेकर संघर्ष करें । उन्होंने अछूत मजदूरों की समस्याएं उठाते हुए कहा, 'अछूत मजदूरों को सबसे कम मजदूरी पर रखा जाता है । उनको किसी भी महत्वपूर्ण तथा अधिकार सम्पन्न स्थान पर नहीं रखा जाता । सबसे कम मजदूरी अथवा वेतन पर उसे रखा जाता है तथा अपनी सेवानिवृत्त होने तक वह वहीं रहता है । उसकी कोई प्रोन्नति नहीं होती किन्तु जैसे ही मंदी आती है सबसे पहले उसे ही निकाला जाता है और जब मांग बढ़ती है तब सबसे बाद में उसे रोजगार मिलता है ।'[3]

बाबा साहेब की श्रमिक वर्ग के अधिकारों एवं कल्याण के प्रति चिंता उन शब्दों में परिलक्षित होती है जो उन्होंने 9 सितम्बर 1943 को लेबर परिषद के उद्घाटन के समय औद्योगिकीकरण विषय पर बोलते हुए कही थी । उन्होंने कहा था कि पूंजीवादी संसदीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दो बातें जरूर होती हैं । पहली, जो लोग काम करते हैं उन्हें गरीबी में रहना पड़ता है और दूसरी जो काम नहीं करते उनके पास अथाह दौलत जमा हो जाती है । एक ओर राजनीतिक समता और दूसरी ओर आर्थिक विषमता । जब तक मजदूरों को रोटी, कपड़ा और मकान और निरोगी जीवन नहीं मिलता एवं विशेष रूप से जब तक सम्मान के साथ अपना जीवन–यापन नहीं कर सकते, तब तक स्वाधीनता कोई मायने नहीं रखती । हर मजदूर को सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्पत्ति में सहभागी होने का आश्वासन मिलना जरूरी है ।[4]

बाबा साहेब का जोर इस बात पर हमेशा रहा कि श्रम का महत्व बढ़े, उसका मूल्य बढ़े । उन्होंने दिसम्बर, 1945 में श्रम आयुक्तों की एक विभागीय बैठक बम्बई सचिवालय में आयोजित की थी । इस बैठक में दिया गया उनका उद्घाटन भाषण अदभुत है । उन्होंने कहा कि औद्योगिक झगड़ों को निपटाने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ।[5]

1 समुचित संगठन ।
2 कानून में आवश्यक सुधार ।
3 श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का निर्धारण ।

---

[2]. Narendra Jadhav, Ibid, 261

[3]. Narendra Jadhav, Ibid, 252

[4]. Narendra Jadhav, ibid, 319

[5]. Narendra Jadhav, Ibid, 322

उनका स्पष्ट मानना था कि औद्योगिक शांति सत्ता के बल पर नहीं बल्कि न्याय नीति के व्यापक तत्वों पर आधारित होना चाहिए । उन्होंने श्रमिकों और मालिकों को भी उनके कर्तव्यों की याद दिलाई । साथ ही, उन्होंने सरकार से भी कहा कि श्रमिक समाज से अपने आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनाए रखने की लगातार कोशिश करनी चाहिए ।

कार्ल मार्क्स का सिद्धांत भारत में नहीं चलेगा- डॉ अंबेडकर का साफ तौर पर मानना था कि जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने मालिक तथा मजदूर के नाम से दो वर्गों में समाज को विभाजित किया है, भारतीय परिस्थितियों में यह विभाजन नितांत गलत है । इस तरह का स्पष्ट विभाजन भारत में नहीं हो सकता । सभी मजदूरों को मिलाकर एक वर्ग समूह बन जाता है परन्तु भारत में ऐसा करना सम्भव नहीं है । भारत की सामाजिक संरचना अलग है । मजदूरों के अन्दर सामूहिक एकता लाने के लिए उन्हें यह समझना होगा कि उनके आपस की जो सामाजिक दूरियां और अशुद्ध भेदभाव हैं वे दूर होने चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि मैंने किसी भी श्रमिक नेता को इस सामाजिक भेदभाव के विरोध में बोलते हुए नहीं सुना । साम्यवादी श्रमिक संगठनों के बारे में वे कहते हैं, 'मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये एक दिग्भ्रमित लोगों का समूह है और मैं एक कदम और आगे जाकर यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने श्रमिकों का जितना अधिक सर्वनाश किया है उतना किसी ने नहीं किया।'[6]

डॉ अंबेडकर सवाल करते हैं कि क्या मजदूरों को साम्यवाद का रास्ता चुनना चाहिए । विचार करने के बाद वह कहते हैं – नहीं । उनके अनुसार वहां मजदूरों को बराबरी तो मिलेगी लेकिन स्वतंत्रता छिन जाएगी ।[7]

डॉ अंबेडकर जोर देकर कहते हैं कि कम्युनिस्ट लोग केवल असंतोष निर्माण करने का ही कार्य करते हैं, भले ही वहां कोई भी असंतोष न हो । कम्यूनिस्टों का मानना है कि जब लोगों में असंतोष होगा तब क्रांति होगी और सर्वहारा का शासन स्थापित होगा । असंतोष बढ़ाने के लिए साम्यवादी संगठन अव्यवस्था तक फैलाते हैं । डॉ अंबेडकर फिर कहते हैं कि इन साम्यवादी संगठनों ने श्रमिक संगठनों को नष्ट करने का काम ही किया है, 'ये (साम्यवादी संगठन) अंसतोष पैदा कर पाएं हों या नहीं लेकिन इन्होंने मजदूर संगठनों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है और अब ये पूरी तरीके से कमजोर हो गए हैं और पूंजीवादी संगठनों की मदद ले रहे हैं ।'[8]

श्रमिकों को राजनीतिक शक्ति

बाबा साहेब ने बार–बार यह कहा कि श्रमिकों की राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए । उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया ताकि श्रमिकों की राजनीतिक शक्ति का निर्माण किया जा सके । उन्होंने स्वतंत्र श्रमिक पक्ष (इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी) की स्थापना भी की । वो यह मानते थे कि राजनीतिक शक्ति के अभाव में श्रमिक संगठनों को अपनी मांगें मनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा । वे कहते हैं, श्रमिक संघों की ताकत कानून बनाकर बढ़ाई जानी चाहिए । ऐसा तबतक नहीं हो सकता जबतक मजदूर ट्रेड यूनियन की राजनीति से आगे बढ़कर राजनीति में अपनी भूमिका निभाना शुरू नहीं करते ।[9]

जीआईपी रेलवे के अछूत कामगारों के सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि श्रमिक संघों को अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीति में अवश्य ही प्रवेश करना चाहिए । उन्होंने कहा, 'जिसके पास शक्ति है उसके पास स्वतंत्रता है– यह एक ऐसी टिप्पणी है जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता । शक्ति एकमात्र साधन है जिसके जरिए कोई स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है और तमाम बाधाओं से खुद को मुक्त कर सकता है । राजनीतिक शक्ति में ऐसा सामर्थ्य

[6]. Narendra Jadhav, Ibid 254

[7]. Thus Spoke Ambedkar, Navyana, pp. 76

[8]. Ibid 254

[9]. Ibid 263

है कि यद्यपि यह धार्मिक या आर्थिक शक्ति की तरह महान नहीं है तब भी यह जहां तक जाती है असली एवं प्रभावी होती है ।'[10]

डॉ अंबेडकर के अनुसार साम्यवादी श्रमिक संगठनों ने श्रमिकों की राजनीतिक शक्ति को ही खत्म करने की लगातार कोशिशें की । उन्होंने खुद एक श्रमिकों के एक राजनीतिक दल का गठन किया ।' अगस्त, 1936 को टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से हिस्सा लेकर प्रशासन को अपने ध्येय के अनुकूल बनाये बगैर इस देश के दलित और शोषित वर्ग के दुखों को दूर नहीं किया जा सकता । अन्य कोई अपने हित के लिए काम करेगा इस आशा से मजदूर, दलित या शोषित जीते रहेंगे तो उनके लिए कोई कुछ नहीं करेगा । इस कारण स्वतंत्र मजदूर पार्टी की आवश्यकता है ।'[11]

इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थे –

- राज्य पोषित औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले ।
- जागीरदारी प्रथा की समाप्ति हो ।
- उद्योगों/ कारखानों में अच्छे पदों पर दलितों को भी रखा जाए ।

पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि उन्होंने एक नई पार्टी का गठन क्यों किया तो उनका जवाब था– प्रान्तीय असेंबलियों की कुल 175 सीटों में से सिर्फ 15 सीटें ही सुरक्षित हैं। अगर दलितों की आवाज़ शक्ति से उठानी है तो ये 15 सीटें अपर्याप्त हैं । 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में चुनावों की घोषणा हुई । इसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर डॉ अंबेडकर ने 1937 में मध्य मुंबई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था । मुम्बई प्रेसिडेंसी के इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने 17 में से 15 सीटें जीतीं थीं । उनका चुनाव चिन्ह 'आदमी' छाप था । मगर बाबा साहेब की इस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को साम्यवादी संगठन पचा नहीं पा रहे थे । साम्यवादी संगठनों को इस बात का भय था कि इससे मजदूरों का जाति के आधार पर विभाजन होगा । वे डॉ अंबेडकर के बारे में दुष्प्रचार करने लगे । उसके बाद उन्होंने ने भी साम्यवादी संगठनों और उनकी नीतियों की आलोचना की । सितम्बर 1936 में मैसूर में दलित समाज का एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन की अध्यक्षता बाबा साहेब ने की । अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने एक बार फिर साम्यवादी संगठनों की आलोचना की । उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा, मैं साम्यवादियों से मिलूंगा, इसकी जरा भी संभावना नहीं है । अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करने वाले इन कम्युनिस्टों का मैं कट्टर दुश्मन हूं ।[12]

आगे चलकर भी मार्क्सवादियों के लिए वे कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी पर ज़िन्दा नहीं रहता । उसके पास मन है । उस मन को विचार का खाद्य चाहिए । धर्म मनुष्य के मन में आशा का संचार करता है । उसे काम करने के लिए प्रेरित करता है । दलितों के उत्साह पर हिन्दू धर्म ने पानी डाला इसीलिए धर्म परिवर्तन करने की बात मुझे आवश्यक लगी और मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया । दीक्षा समारोह नागपुर में बाबा साहेब ने कार्ल मार्क्स की उस अवधारणा का विरोध किया जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्म अफीम की तरह है। बाबा साहेब कहते हैं, मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए धर्म अत्यंत आवश्यक है। कार्ल मार्क्स के कारण एक नया पंथ निकला। उसके अनुसार धर्म कुछ भी नहीं है। उन्होंने सुबह के अल्पाहार में पाव, मक्खन–मलाई, मुर्गे की टांग, भोजन में भरपेट अन्न के बाद अच्छी नींद मिली कि सब कुछ हो गया । यह उनका तत्व ज्ञान है । मैं उनके मत का नहीं हूं ।'[13]

---

[10]. Ibid, 252

[11]. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर, सूर्य नारायण रणसुभे, पृ. 52

[12] .दत्तोपंत ठेंगड़ी, डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा, पृ. 185

[13]. दत्तोपंत ठेंगड़ी, वही, पृ. 185

टेक्सटाइल मजदूर आन्दोलन में उनके और श्रमिक यूनियन के बीच हुए संवाद से कितनी ही नई बातें स्पष्ट हुई थी । श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने अपने पूर्व के अनुभवों को ही वैधानिक रूप में मान्यता दी । श्रम मंत्री के रूप में डॉ. अम्बेडकर के महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित हैं:

मजदूरों की सुरक्षा हेतु नीति एवं योजनाएं- डॉ. अम्बेडकर के विशेष प्रयासों के कारण ही श्रमिक, मालिक और सरकार का त्रिपक्षीय संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ ।[14] इस सम्मेलन के बाद मजदूर-श्रमिक असहाय नहीं रहे । सरकार को उनके समर्थन एवं सुरक्षा में खड़ा होना पड़ा एवं सरकार को उनके हितों के संरक्षण में कानून बनाने पड़े। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने 9 दिसम्बर, 1943 को धनबाद के कोयला खदान मजदूरों की कॉलोनी का दौरा किया । वहां उन्होंने कोयला खदान मजदूरों की दयनीय दशा को बहुत करीब से देखा था । इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप ही 7 अगस्त, 1945 को प्रथम त्रिपक्षीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस सम्मेलन में डॉ. अम्बेडकर ने ऐतिहासिक वक्तव्य दिया । उन्होंने साफ कहा कि मजदूरों और मालिकों के उद्देश्य समान हैं । इस सम्मेलन के भी मुख्य रूप से निम्न उद्देश्य हैं

- मजदूरों के लिए कानून बनाना
- औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए एक पद्धति का निर्माण करना
- पूरे भारत के मजदूर-मालिक सम्बन्धों की चर्चा करना

बाबा साहेब चाहते थे कि सरकार की श्रम नीति निश्चित होनी चाहिए और उसे बनाने में मजदूरों को बराबर का सहयोगी होना चाहिए । सरकार की श्रम नीति का व्यापक स्वरूप बनाने के लिए उनके श्रम मंत्री के कार्यकाल में कुल चार त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित किए गए । इन सम्मेलनों में

A. मजदूरों के न्यूनतम वेतन की चर्चा हुई ।
B. कम्पनी अधिनियम के आधार पर काम के घण्टे तय किए गए ।
C. मजदूरों के लिए भविष्य निधि की चर्चा हुई ।
D. अधिक समय काम के बदले अलग से मेहनताना अर्थात ओवर टाइम की व्यवस्था हुई ।
E. सस्ते मूल्य के अनाज की व्यवस्था ।
F. कम्पनी के अंदर सस्ते दर के जलपान गृह एवं अस्पताल की व्यवस्था ।
G. विश्राम स्थल की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा ।

बाबा साहेब ने अपने श्रम मंत्री के कार्यकाल के दौरान श्रमिकों के हित में लगभग 25 कानूनों का निर्माण किया और उनका क्रियान्वयन करवाया । सातवें भारतीय श्रम सम्मेलन में 27 नवम्बर 1942 को डॉ. अम्बेडकर ने आठ घण्टे काम का कानून रखा था । इस कानून को बनाते समय उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही थीं । उन्होंने कहा था कि काम के घण्टे घटाने का मतलब है रोजगार बढ़ना । इस कानून के मसौदे को रखते हुए उन्होंने जोर देकर कहा था कि कार्य अवधि 12 से 8 घण्टे किए जाते समय किसी भी स्थिति में वेतन कम नहीं किया जाना चाहिए ।

महिलाओं के प्रति डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण उस समय के कई राष्ट्रीय नेताओं से अधिक व्यापक था । श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने महिला मजदूरों के हितों को संरक्षित करने के लिए भी कानून बनाए । ये कानून ही बाद में चलकर बिना किसी लैंगिक भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन सम्बन्धी कानून का आधार बने । उन्होंने खदान मातृत्व लाभ कानून, महिला कल्याण कोष, महिला एवं बाल श्रमिक संरक्षण कानून, महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ एवं मातृत्व अवकाश कानून के साथ-साथ कोयला खदान में महिला मजदूरों से काम न कराने सम्बन्धी कानून बनाए ।

ट्रेड यूनियन एक्ट भले ही 1926 में ही अस्तित्व में आ गया था मगर डॉ. अम्बेडकर के श्रम मंत्री बनने से पहले तक एक भी मालिक ने इसे मान्यता नहीं दी थी । मालिकों द्वारा ट्रेड यूनियनों को अनिवार्य रूप से मान्यता प्रदान करने वाला

[14]. Narendra Jadhav, Ibid, 318

कानून डॉ. अम्बेडकर ने 1943 ई । में बनाया । ट्रेड यूनियनों और डॉ. अम्बेडकर के दबाव में इसी समय काम करते समय दुर्घटना के बीमा जिसे बाद में ईएसआई का रूप मिला, का कानून बना । इसी समय कोयला तथा माइका कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि अस्तित्व में आए ।

मजदूरी के एक अन्य दूसरे पक्ष अर्थात ग्रामीण मजदूरों के सम्बन्ध में भी डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण काफी व्यापक था। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां के श्रमिकों का अधिकांश हिस्सा खेतिहर मजदूर के रुप में कार्यरत है । खेतिहर मजदूरों के शोषण से वे भलीभांति परिचित थे इसलिए उन्होंने कृषि क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए भी कई कानून बनाए । वे कृषि मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए भूमि सुधारों को भी जरूरी शर्त मानते थे । इस मामले में वे राजकीय समाजवाद के पक्षधर थे इसीलिए उन्होंने भूमि सुधारों और आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप का जोरदार ढंग से समर्थन किया । संविधान सभा में संविधान के बुनियादी अधिकारों में जोड़ने के लिए उन्होंने जो बिन्दु सुझाए थे उनमें अन्य बातों के अलावा जो तीन विषय शामिल थे, वे निम्नलिखित हैं–

- प्रमुख केन्द्रीय उद्योग सरकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित होने चाहिए ।
- बुनियादी प्रमुख उद्योग (गैर रणनीतिक) भी सरकार द्वारा या उसके द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा संचालित होने चाहिये ।
- उन्होंने कृषि को राजकीय उद्योग की मान्यता देने की बात कही । उन्होंने कहा कि कृषि उद्योग को संचालित करने के लिए सबसे पहले सरकार सारी भूमि का अधिग्रहण करे फिर समुचित आकार में उन जमीनों को गांव के लोगों के बीच बांट दे । इन जमीनों पर परिवारों के समूहों द्वारा सहकारी खेती करने का सुझाव दिया ।

निष्कर्ष - बाबा साहेब के प्रयासों के कारण ही मुख्य श्रम आयुक्त, प्रोविंशियल श्रम आयुक्त, श्रम निरीक्षक जैसे सरकारी पद सृजित किये गए । ये अधिकारी श्रमिकों के हितों के संरक्षण का काम करते थे और श्रमिक उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते थे । इस तरह श्रम मंत्री रहते हुए डॉ अंबेडकर ने अपनी सूझ–बूझ और अनुभव के आधार पर ऐसे कई कदम उठाए जिनके द्वारा कई श्रम कानून अस्तित्व में आए और प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वयन हो सका । वहीं डॉ अंबेडकर ने ऐसी कई पहले कीं जो आने वाले समय में श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में मार्गदर्शक बनीं ।

संदर्भ सूची :

1. Narendra Jadhav, Ambedkar, Awakening India's Social Conscience.Konark Publications.
2. Thus Spoke Ambedkar, Navyana Publishing Pvt Ltd, New Delhi.
3. डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर, सूर्य नारायण रणसुभे, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली ।
4. दत्तोपंत ठेंगड़ी, डॉ. अम्बेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ ।